कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :– आरआरसी/गोपनीय/1664 दिनांक : 21.12.2023

सत्रांत परीक्षा–2023–24 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी कार्यक्रम

राजकीय राजर्षि (स्वायत्तशासी) महाविद्यालय, अलवर में अध्ययनरत नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों (ड्यू पेपर) की सत्रांत परीक्षा 2023–24 के परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाईट https://rrcalwar.onlineexamforms.com/ पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता है–

क्र. सं.	कक्षा/कोर्स	सेमेस्टर	श्रेणी	आवेदन करने की तिथि	100/– विलम्ब शुल्क के साथ तिथि	दूगुने परीक्षा शुल्क के साथ तिथि
1	B.Sc. Pt-I Under NEP-2020 (Biology group, Maths group, Chemistry & Mathematics)	I & II	Regular	22.12.2023 to 29.12.2023	30.12.2023 to 31.12.2023	01.01.2024 to 02.01.2024
2	B.Sc. Pt-II (Bio, Maths, Chy. Hons. & Math Hons.)	III & IV	Regular			
3	B.Sc. Pt-III (Bio, Maths, Chy. Hons. & Math Hons.)	V & VI	Regular			
4	M.Sc. (Previous) All Subjects	I & II	Regular			
5	M.Sc. (Final) All Subjects	III & IV	Regular			
6	B.Sc. Pt-I (Bio, Maths, Chy. Hons. & Math Hons.)	I	Due/ Back			
7	B.Sc. Pt-II (Bio, Maths, Chy. Hons. & Math Hons.)	III	Due/ Back			
8	B.Sc. Pt-III (Bio, Maths, Chy. Hons. & Math Hons.)	V	Due/ Back			
9	M.Sc. (Pre.) All Subjects	I	Due/ Back			
10	M.Sc. (Final) All Subjects	III	Due/ Back			

प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

r/nirdesh

कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :– आरआरसी/गोपनीय/ 1664 दिनांक : 21.12.2023

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी अन्य जानकारियों हेतु महाविद्यालय परीक्षा अनुभाग की वेबसाईट https://rrcalwar.onlineexamforms.com/ तथा महाविद्यालय वेबसाईट https://rrcollegealwar.in/ पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।
2. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया व विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करना होगा। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन सावधानी पूर्वक करें। **परीक्षा फॉर्म की हार्डकॉपी की एक प्रति में यथास्थान पर हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका आदि के साथ आगामी दो कार्य दिवसों में महाविद्यालय की अकादमिक शाखा में जमा करायें। परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा।**
3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित परीक्षार्थी की कक्षा में समस्त विषयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। **75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को सत्रांत परीक्षा (Semester End Examination) में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।**
4. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देश महाविद्यालय के परीक्षा अनुभाग की वेबसाईट https://rrcalwar.onlineexamforms.com/ तथा महाविद्यालय की वेबसाईट https://rrcollegealwar.in/ पर उपलब्ध है।
5. परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी समस्या के लिये हैल्प लाईन नम्बर 9414315453 एवं ई–मेल rajrishi.onlineexamforms@gmail.com पर सम्पर्क करें।
6. फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फॉर्म के आधार पर महाविद्यालय के परीक्षा अनुभाग की वेबसाईट पर ही परीक्षा शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल परीक्षा शुल्क का निर्धारण होगा। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेंमेट गेटवे के माध्यम से UPI/Rupay/Debit card/Credit card अथवा Net Banking से ही करना होगा। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट दो प्रतियों में निश्चित रूप में प्राप्त कर लेवें।

प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

r/nirdesh

कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :– आरआरसी/गोपनीय/ 1664 दिनांक : 21.12.2023

परीक्षार्थी ध्यान रखें

1. बी.एससी. प्रथम वर्ष के सत्र 2023–24 में नियमित विद्यार्थी (Under NEP-2020) एवं एम. एससी. पूर्वाद्ध में नव प्रवेशित विद्यार्थी अपनी नवीनतम फोटो एवं स्वयं के हस्ताक्षर स्केन (Scan) कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। विद्यार्थी अपनी ABC ID निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। इसके अलावा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की अन्य सूचनायें महाविद्यालय में प्रवेश आवेदन फॉर्म के अनुसार अपलोड कर दी गई हैं। विद्यार्थी इनको अच्छी तरह से जांच लेवें। (अपना नाम, माता व पिता का नाम वही भरें जो बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व उत्तीर्ण अंकतालिका में अंकित है।) यदि कोई भिन्नता होती है तो महाविद्यालय की गोपनीय शाखा में संपर्क करें।
2. बी.एससी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं एम.एससी. फाईनल तथा महाविद्यालय के पूर्व (Back) के विद्यार्थियों की समस्त सूचनायें ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपडेट कर दी गई है। यदि कोई भिन्नता होती है तो महाविद्यालय की गोपनीय शाखा में संपर्क करें।
3. परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनायें सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े।
4. एक बार परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।
5. यदि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान आपके खाते से परीक्षा शुल्क राशि की कटौती हो जाती है परन्तु तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रान्जेक्शन सफल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 24 घण्टे के पश्चात् पुनः ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरें।
6. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय की अकादमिक शाखा में जमा करावें। केवल परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
7. बी.एससी. प्रथम वर्ष एवं एम.एससी. प्रीवियस के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से पात्रता परीक्षा (Eligibility Exam) उत्तीर्ण की है वे परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Original Migration Certificate) एवं पूर्व में उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका परीक्षा फॉर्म की हार्डकॉपी के साथ संलग्न कर महाविद्यालय की अकादमिक शाखा में जमा करायें।
8. विद्यार्थी ध्यान रखें कि महाविद्यालय में डाक द्वारा या मेल द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मो पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

r/nirdesh

कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :— आरआरसी / गोपनीय / 1664 दिनांक :—21.12.2023

परीक्षा फॉर्म लॉगिन करने के निर्देश

1. महाविद्यालय के समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले परीक्षा अनुभाग की वेबसाईट https://rrcalwar.onlineexamforms.com/ के होम पेज पर जाकर कोर्स / कक्षा का चयन करना होगा।
2. तत्पश्चात् अपने रोल नं. निर्धारित स्थान पर भरने होगें।
3. उसके पश्चात् परीक्षार्थी अपनी जन्मतिथि या विश्वविद्यालय एनरोलमेन्ट नम्बर या पिता का नाम भरकर लॉगिन करें।
4. बी.एससी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.एससी. पूर्वाद्ध एवं एम.एससी. फाईनल एवं महाविद्यालय के पूर्व (Back) के विद्यार्थियों की समस्त सूचनाओं सहित आपका परीक्षा फॉर्म आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नम्बर, फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि एवं परीक्षा से संबंधित आपके विषय व प्रश्न पत्रों की जाँच कर लेवें।
5. बी.एससी. प्रथम वर्ष एवं एम.एससी. पूर्वाद्ध के सत्र 2023—24 में **नव प्रवेशित विद्यार्थी अपनी नवीनतम फोटो, स्वयं के हस्ताक्षर सहित स्केन (Scan) कर** परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नम्बर, फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि एवं परीक्षा से संबंधित आपके विषय व प्रश्न पत्रों की जाँच कर लेवें।
6. परीक्षा फॉर्म में यदि कोई भिन्नता है तो महाविद्यालय की गोपनीय शाखा अथवा हैल्प लाईन नम्बर 9414315453 एवं ई—मेल rajrishi.onlineexamforms@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
7. यदि सभी सूचनायें सही है तो UPI/Rupay/Debit card/Credit card अथवा Net Banking से शुल्क का भुगतान करें।
8. परीक्षा फॉर्म की दो हार्डकॉपी प्राप्त करें, एक हार्डकॉपी अपने पास रखें तथा दूसरी निर्धारित दस्तावेजों के साथ **आगामी दो कार्य दिवसों में महाविद्यालय की अकादमिक शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं कराने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

r/nirdesh

कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :– आरआरसी / गोपनीय / 1664 दिनांक : 21.12.2023

सत्रांत परीक्षा (SEMESTER END EXAM.) सत्र–2023-24 के परीक्षा शुल्क का विवरण

राजकीय राजर्षि (स्वायत्तशासी) महाविद्यालय, अलवर में अध्ययनरत नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों (ड्यू पेपर) की सत्रांत परीक्षा 2023–24 के आवेदन पत्र परीक्षा अनुभाग की वेबसाईट https://rrcalwar.onlineexamforms.com/ पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु परीक्षा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है–

CLASS	EXAM FEES		TOTAL FEE TO BE PAID
	I, III & V SEMESTER	II, IV & VI SEMESTER	
B.Sc. I YEAR (Sem I & II) NEP-2020	1000	1000	Rs. 2000/-
B.Sc. (PASS & HONS.) DUE I SEM.	700	-	Rs. 700/-
B.Sc. (PASS & HONS.) II YEAR	700	700	Rs. 1400/-
B.Sc. (PASS & HONS.) III YEAR	750	750	Rs. 1500/-
M.Sc. (PREVIOUS)	800	800	Rs. 1600/-
M.Sc. (FINAL)	850	850	Rs. 1700/-

नोटः– परीक्षा शुल्क (ड्यू पेपर) रू. 200 / – प्रति प्रश्न पत्र / संबंधित सेमेस्टर की नियमित परीक्षा शुल्क के बराबर जो भी न्यूनतम हो।

प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

परीक्षा नियंत्रक
राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

r/nirdesh

कार्यालय, प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, राजर्षि महाविद्यालय, अलवर

(An Autonomous Govt. Institutions Affiliated to RRBMU, Alwar)

क्रमांक :– आरआरसी / गोपनीय / 1664 दिनांक : 21/12/23

राजर्षि राजकीय (स्वायतशासी) महाविद्यालय, अलवर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 3/4 वर्षीय स्नातक संपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट (Credit) रूपरेखा के अनुरूप सत्र 2023–24 से राजर्षि (स्वायत्तशासी) महाविद्यालय, अलवर के समस्त स्नातक कार्यक्रमों (Under Graduate Programme) में नई सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ की गई है।यह प्रणाली महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–2024 में प्रवेश लेने वाले तथा इसके बाद के शैक्षणिक सत्रों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी।
2. सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक कार्यक्रम तीन/चार वर्षो का होगा।
3. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दो सेमेस्टर होगें। विद्यार्थियों की विषम सेमेस्टर (अर्थात् प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम) की सेमेस्टर परीक्षा (End of Semester Examination = EoSE) दिसम्बर माह में तथा सम सेमेस्टर द्वितीय,चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्ठम) की सेमेस्टर परीक्षा (EoSE) की परीक्षा मई माह में आयोजित होगी।
4. स्नात्तक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के विषयों को दो समूह में बाँटा गया हैं :–

(a) प्रथम समूह में Discipline Centric Core (DCC) एवं Ability Enhancement Course (AEC) को सम्मिलित किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश के समय ही इनका निर्धारण हो जायेगा। विद्यार्थी को इनमें परिवर्तन / चुनाव कि अनुमति नहीं होगी।

(b) दूसरे समूह में Skill Enhancement Course (SEC), Value Added Course (VAC) , Discipline Specific Elective (DSE), Multidisciplinary / Interdisciplinary Course , Internship/ On Job Experience, Community Engagement Experince, Seminars , Research Methodology and Ethics and Dissertation / Project /Field Study को सम्मिलित किया गया हैं। महाविद्लाय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन कोर्स में महाविद्यालय द्वारा एक से अधिक विषयों / प्रश्न–पत्रों कि सूची तैयार की जायेगी तथा विद्यार्थी सेमेस्टर वार उपरोक्त कोर्सो की तैयार सूचियों में से अपनी रूचि के अनुसार विषय / प्रश्न–पत्र का चुनाव कर सकेगें।

5. स्नात्तक कार्यक्रम B.Sc. (Biology group अथवा Math Group इनका पूर्व में प्रचलित नाम B.Sc. पास कोर्स था) में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन मुख्य विषयों (Major Subject) का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक मुख्य विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा। ये मुख्य विषय Discipline Centric Core कहलायेगें तथा इनका अध्ययन विद्यार्थी को सेमेस्टर–1 से सेमेस्टर–6 अथवा सेमेस्टर–8 तक करना होगा । इन मुख्य विषयों कि परीक्षा महाविद्यालय कि BOS, Academic Council & Governing Body द्वारा निर्धारित केवल सैद्धांतिक अथवा सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूपों में आयोजित की जायेगी।
6. स्नात्तक कार्यक्रम (जिनका पूर्व में प्रचलित नाम स्नात्तक आनर्स होता था) में मुख्य विषय (पूर्व में आनर्स विषय) के दो प्रश्न पत्र होंगे तथा तीसरा विषय मुख्य विषय से भिन्न होगा तथा इसका एक ही प्रश्न पत्र होगा। उदाहरण स्वरूप यदि विद्यार्थी कार्यक्रम B.Sc. रसायन विज्ञान में प्रवेश लेता हैं तो Chemistry विषय के दो प्रश्न पत्र होगें तथा तीसरा विषय Chemistry से भिन्न होगा इसका एक प्रश्न पत्र होगा।

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R. R. College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR

7. मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी B.Sc. स्नातक कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (AEC) का अध्ययन करेंगा। महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर AEC के अतंर्गत विद्यार्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी का अध्ययन करेंगा। B.Sc. (Bio Group) एवं B.Sc.(Chemistry) के विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में AEC के तहत हिंदी विषय तथा तृतीय एवं चतुथ सेमेस्टर में AEC विषय English का अध्ययन करेंगा तथा इन विषयों कि परीक्षाओं में सम्मिलित होगा। B.Sc.(Maths Group) तथा B.Sc. Mathematics के विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में AEC के तहत अंग्रेजी विषय तथा तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में AEC के तहत हिंदी विषय का अध्ययन करेंगें एवं इन विषयों कि परीक्षा में सम्मिलित होगें।

8. विद्याथियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन के दौरन प्रत्येक सेमेस्टर में एक कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम SEC के विषय / प्रश्न–पत्र का अध्ययन करेंगा और उससे संबंधित आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होगा। इस हेतु महाविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टरवार SEC के विषय / प्रश्न–पत्रों की सूची तैयार करेगा जिसमें से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विषय/प्रश्न पत्र का चुनाव कर सकता हैं।

9. विद्याथियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन के दौरन प्रत्येक सेमेस्टर में एक मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम VAC के विषय /प्रश्न–पत्र का अध्ययन करेंगा और उससे संबंधित आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होगा। इस हेतु महाविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टरवार VAC के विषय /प्रश्न–पत्रों की सूची तैयार करेगा जिसमें से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विषय/प्रश्न पत्र का चुनाव कर सकता हैं।

10. B.Sc. III yr. के सेमेस्टर–V व VI में विद्यार्थी DCC के साथ–साथ Multidisciplinary / Interdisciplinary Course का अध्ययन करेगा। यहाँ यह बाध्यता हैं कि विद्यार्थी ने जिन विषयों का अध्ययन अपनी 11–12 वीं कक्षा में किया हैं उनका चुनाव Multidisciplinary / Interdisciplinary Course के रूप नहीं कर सकता। विद्यार्थी को Multidisciplinary / Interdisciplinary Course के तीन विषयों / प्रश्न पत्रों का चुनाव करना होगा इसमें विद्यार्थी दो विषय / प्रश्न पत्र V सेमेस्टर में तथा एक प्रश्न–पत्र / विषय का सेमेस्टर VI में अध्ययन करेगा। इस हेतु महाविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टरवार Multidisciplinary / Interdisciplinary Course के विषय / प्रश्न–पत्रों की सूची तैयार करेगा जिसमें से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विषय/प्रश्न पत्र का चुनाव कर सकता हैं।

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत जो विद्यार्थी चार वर्षीय स्नात्तक कार्यक्रम (B.Sc. Hons.) में प्रवेश लेगा, उन्हें चतुर्थ वर्ष के सेमेस्टर VII व VIII में DCC के साथ–साथ DSE प्रश्न–पत्रों का चुनाव करना होगा। DSE विषय उनके तीन DCC (Major) विषयों के ही प्रश्न पत्र होगें। सेमेस्टर VII में दो DSE तथा सेमेस्टर VIII में दो DSE के प्रश्न–पत्र अथवा एक DSE व एक Research Ethics and Methodology के प्रश्न–पत्र का चुनाव विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा।

12. विद्यार्थी जिनके स्नात्तक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में 70% (Grade Point-8) या इससे अधिक प्राप्तांक होगे ऐसे विद्यार्थी नये पाठ्यक्रम B.Sc. (Hons With Research) में प्रवेश ले सकते हैं इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को सेमेस्टर VII में DCC के साथ–साथ एक Research Ethics and Methodology का प्रश्न पत्र तथा सेमेस्टर VIII में DCC के साथ–साथ महाविद्यालय के किसी आचार्य / सहआचार्य / सहायक आचार्य के Supervision में Dissertation तैयार करके जमा करानी होगी। Dissertation आपके DCC विषयों से संमंधित होगी। Dissertation की Credit value=12 एवं पूर्णांक 300 का होगा। सभी विषयों (Discipline Centric Core (DCC) एवं Ability Enhancement Course (AEC),Skill Enhancement Course (SEC), Value Added Course (VAC),Discipline Specific Elective (DSE), Multidisciplinary / Interdisciplinary Course) कि परीक्षा महाविद्यालय कि BOS, Academic Council & Governing Body द्वारा निर्धारित, केवल सैद्धांतिक अथवा सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूपों में आयोजित की जायेगी।

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R. R. College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR

13. **NEP-2020** के तहत प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को Summer Internship कोर्स करना अनिवार्य होगा। यह विद्यार्थी को ग्रीष्मावकाश के दौरान करना होगा तथा इसकी Credit value=4 होगी । इसकी गणना निम्न प्रकार होगी। 4 = 15 x 4 = 60 कालांश (Hours) चूंकि Internship एक field Study हैं अत: इसके दो घण्टे के कार्य /अध्ययन/कोर्स को 1 माना जायेगा अत: विद्यार्थी को 60 x 2 = 120 घण्टे का Internship कोर्स करना होगा । यदि प्रति दिन विद्याथी = 8 घण्टे कार्य करता है तो उसे 120/8 =15 दिवस प्रतिदिन 8 घण्टे अथवा तीन सप्ताह का Summer Internship कोर्स करना होगा । विद्यार्थी को अपने स्नात्तक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में कभी भी एक Summer Internship कोर्स करना अनिवार्य होगा। Internship - राज्य सरकार / भारत सरकार के किसी विभाग/ कार्यालय / उपक्रम से अथवा भारत सरकार / राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड किसी भी निजी उपक्रम / औद्योगिक इकाई में किया जा सकेगा। इसमें विद्यार्थियों की मदद के लिए महाविद्यालय में एक Internship समिति होगी।

14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 मुख्य बिन्दु Choice Based Credit System (CBCS) है। इसमें विद्यार्थी को अपने अध्यापन कराने वाले शिक्षक से Credit प्राप्त करने होंगे। Credit की गणना निम्न प्रकार होगी–

    यदि किसी विषय / प्रश्न पत्र के लिए प्रति सप्ताह अध्यापन कालांश = 4 Hours निर्धारित हैं

    UGC द्वारा एक Semester के अध्ययन सप्ताह = 15-18 निर्धारित हैं।

    उक्त विषय के अध्यापन हेतु कुल = 15x4 = 60 Hours होगे।

    NEP के अनुसार 15 कालांश (Hours) = 1 Credit

    अतः उक्त विषय के लिए एक सेमेस्टर में Credit value = 60/15 = 4 होगी।

    उपरोक्त विषय के पूर्णांक कि गणना निम्न प्रकार होगी।

    Credit Value 1 = 25 पूर्णांक

    अतः उक्त विषय के लिए एक सेमेस्टर का पूर्णांक = 25x4 = 100 अंक का होगा।

    प्रायोगिक अध्यापन के लिए 2 कालांश (Hours) को 1 माना जायेगा जैसे अधिकांश विषयों का Practical 4 कालांश का होता है उसे 2 मान कर गणना की जावेगी।

15. Credit की Monitoring के लिए सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता Local Credit Monitoring Committee (LCMC) होगी।

16. महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी परीक्षा शुल्क जमा कराके एवं विश्वविद्यालय में नामांकन करवाना होगा।

17. विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय / प्रश्न–पत्र में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना होगा तथा साथ ही विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/ प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त करने होगे। ऐसे विद्यार्थी उस सेमेस्टर विशेष में Pass Remark के साथ उत्तीर्ण घोषित किये जायेगें।

18. यदि विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में निर्धारित क्रेडिट अर्जित नहीं करता हैं तथा विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उपरोक्त में से केवल एक स्थिति में अथवा दोनों ही स्थितियों में उसे एक शैक्षणिक वर्ष के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में " PNS " किया जा सकेगा (सेमेस्टर I,III,V,VII से विद्यार्थी को क्रमशः II,IV,VI,&VIII में Promoted In Next Semester उन्नयन किया जा सकेगा) परंतु PNS का नियम विद्यार्थी

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R. R. College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR

को अगले शैक्षणिक वर्ष में उन्नयन (विद्यार्थी को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में) पर लागू नहीं किया जा सकेगा। PNS विद्याथियों को अगले शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित क्रेडिट व 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें।

19. यदि विद्यार्थी सेमेस्टर एवं विषय के लिए निर्धारित संख्या से कम क्रेडिट अर्जित करता है परंतु मुख्य विषयों में कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत और सेमेस्टर के लिए कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत अर्जित कर लेता है, ऐसे विद्यार्थियों एक शैक्षणिक सत्र के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में उन्नयन के समय PNS घोषित किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में 'बैक प्रमोशन (Back promoted)' टिप्पणी के साथ उन्नयन (Promote) किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपने अगले शैक्षणिक वर्ष में वह अध्ययन सेमेस्टर के साथ–साथ गत शैक्षणिक वर्ष के सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक क्रेडिट अर्जित करना होगा। ऐसे विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष के हैं तो उन्हें इस स्थिति में द्वितीय वर्ष के अध्ययन के दौरान निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होगें ऐसे विद्यार्थी तब तक तृतीय वर्ष में प्रोमोट नहीं होगे जब तक कि वे निर्धारत क्रेडिट अर्जित नहीं कर लें।

20. यदि विद्यार्थी सेमेस्टर एवं विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट के 50 प्रतिशत से भी कम अर्जित करता है तो ऐसे विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक सत्र के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में उन्नयन (Promote) के समय PNS घोषित किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में उन्नयन (Promote) नहीं किया जा सकेगा तथा इन्हें fail टिप्पणी के साथ " EX-STUDENT " घोषित किया जायेगा। अगले शैक्षणिक वर्ष में वह गत वर्ष के सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक क्रेडिट अर्जित करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष का हैं तो वह द्वितीय वर्ष में तथा यदि द्वितीय वर्ष का हैं तो उसे तृतीय वर्ष में तब तक प्रोमोट नहीं किया जा सकेगा जब तक कि वह निर्धारत क्रेडिट अर्जित नहीं कर लेंवे ।

21. स्नातक कार्यक्रम से निकास एवं प्रवेश की नीति–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत विद्यार्थी के पास किसी स्नातक कार्यक्रम से एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास की सुविधा निम्न प्रकार प्रदान की गई है:–

(I) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं उन्हें प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना होगा एंव गर्मी की छुटिट्यों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) दिया जाएगा।

(II) जो विद्यार्थी द्वितीय वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं उन्हें प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना होगा व गर्मी की छुटिट्यों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्याथियों को डिप्लोमा दिया जाएगा।

(III) जो विद्यार्थी तृतीय वर्ष पूरा होन के बाद स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना होगा व गर्मी की छुटिट्यों में 04 क्रेडिट इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री प्रदान की जायेगी।

(IV) जो विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम,द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करना होगा व गर्मी की छुटिट्यों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्याथियों को स्नातक ऑनर्स डिग्री प्रदान की जायेगी।

(V) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में कार्यक्रम से बाहर लिकलने वाले विद्यार्थी तीन साल के अन्तराल में स्नातक कार्यक्रम के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में पुनः प्रवेश ले सकेंगे किन्तु अधिकतम सात वर्ष की अवधि में स्नातक तीन/चार वर्षीय कार्यक्रम को पूरा करना होगा।

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R. R. College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR

22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विद्याथियों की प्रगति का आंकलन एवं शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर मूल्यांकन को लागू किया गया है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो घटक होगे –सतत मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80 प्रतिशत भार) की होगी। प्रायोगिक परीक्षाओं का भार (Weightage) सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्णांक का 50 प्रतिशत होगा।

23. सतत मूलांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) के दो घटक होगे :–

(I) टर्मटेस्ट – 60 प्रतिशत (सतत् मूल्यांकन अंको का)

(II) होम असाईनमेन्ट / परियोजन कार्य / अन्य गतिविधियॉ–40 प्रतिशत (सतत् मूल्यांकन अंको का)

24. विद्याथियों को सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में सम्मिलित होने कि पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम (C-GRADE / 40 प्रतिशत) अंक प्राप्त करने होगे तथा सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हासिल करना अनिवार्य होगा।

25. महाविद्यालय के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होगे तथा साथ ही विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त करने होगे। ऐसे विद्यार्थी उस सेमेस्टर विशेष में Pass remark के साथ उत्तीर्ण घोषित किये जायेगें।

26. विद्यार्थी को B.Sc. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित क्रेडिट व उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए अधिकतम तीन शैक्षणिक वर्ष तथा तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष में निर्धारत क्रेडिट व उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए अधिकतम दो शैक्षणिक वर्ष का समय मिलेगा। तीन/चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अधिकतम सात शैक्षणिक वर्ष का समय मिलेगा।

27. यदि विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उसे

" PNS " (Promoted to Next Semester) अथवा Promoted with remark " BACK PROMOTED " अथवा fail with remark " EX-STUDENT " घोषित किया जायेगा।

28. यदि विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उसे एक शैक्षणिक वर्ष के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में " PNS " किया जा सकेगा (सेमेस्टर I,III,V,VII से विद्यार्थी को क्रमशः II,IV,VI,&VIII में Promoted In Next Semester उन्नयन किया जा सकेगा) परंतु PNS का नियम विद्यार्थी को अगले शैक्षणिक वर्ष में उन्नयन (Promote) (विद्यार्थी को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में) पर लागू नहीं किया जा सकेगा। PNS विद्याथियों को अगले शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त करने होगें।

29. विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक यदि (C-Grade) प्राप्त नहीं कर पाता हैं परंतु 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्रश्न–पत्रों में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त कर लेता हैं तो ऐसे विद्यार्थियों एक शैक्षणिक सत्र के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में उन्नयन के समय PNS घोषित किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में 'बैक प्रमोशन (Back promoted)' टिप्पणी के साथ उन्नयन (Promote) किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपने अगले शैक्षणिक वर्ष में वह गत शैक्षणिक वर्ष के सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त करना होगा। ऐसे विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष के हैं तो उन्हें इस स्थिति में द्वितीय वर्ष के अध्ययन के दौरान निर्धारित अंक अर्जित करने होगें ऐसे विद्यार्थी तब तक तृतीय वर्ष में प्रोमोट नहीं होगे जब तक कि वे निर्धारत अंक प्राप्त नहीं कर लेवें।

30. विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय/प्रश्न–पत्र में परीक्षा के सभी भागों (सतत मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा) में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) प्राप्त नहीं कर पाता हैं तथा यदि विद्यार्थी

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R. R. College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR

50 प्रतिशत से भी कम विषयों/प्रश्न–पत्रों में 40 प्रतिशत अंक (C-Grade) अंक अर्जित करता है ऐसे विद्यार्थियों का पूरा सेमेस्टर ड्यू (Semester Due) घोषित किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक सत्र के विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में उन्नयन के समय PNS with Semester Due घोषित किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में उन्नयन (Promote) नहीं किया जा सकेगा तथा इन्हें fail टिप्पणी के साथ " EX-STUDENT " घोषित किया जायेगा। अगले शैक्षणिक वर्ष में उसे गत वर्ष के सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक अंक अर्जित करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रथम वर्ष का हैं तो वह द्वितीय वर्ष में तथा यदि द्वितीय वर्ष का हैं तो उसे तृतीय वर्ष में तब तक प्रोमोट नहीं किया जा सकता जब तक कि वह निर्धारित अंक अर्जित नहीं कर लें।

31. किसी भी वर्ष विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के किसी एक सेमेस्टर के सभी विषयों /प्रश्न–पत्रों कि सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने कि अनुमति नहीं दी जायेगी।

32. .सेमेस्टर ग्रेड़ निर्धारण में Discipline Centric Core (DCC) एवं Ability Enhancement Course(AEC), Skill Enhancement Course (SEC), Value Added Course (VAC) , Discipline Specific Elective (DSE), Multidisciplinary / Interdisciplinary Course, Research Methodology and Ethics, Dissertation आदि सभी विषयों के प्राप्तांक सम्मिलित किये जायेगे।

33. क्रेडिट पॉईंट के निर्धारण में अर्जित क्रेडिट व प्राप्त ग्रेड़ के अंक को सम्मिलित किया जायेगा।

34. सभी स्नातक कार्यक्रमों कि सभी कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार कि प्रवेश नीति कि पालना करते हुऐ दिये जायेगे।

35. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 नई शिक्षा नीति हैं अतः समय –समय पर राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर , राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों व आदेशों को महाविद्यालय कि अकादमिक परिषद एवं शासी निकाय से अनुमोदन करवाकर 3/4 वर्षीय स्नात्तक कार्यक्रमों कि रूप रेखा में संशोधन (Addition/Omission/Correction& Modification) किया जा सकता है ।

CHIEF CONTROLLER
&
PRINCIPAL
R College, ALWAR

CONTROLLER OF EXAMINATION
RAJRISHI COLLEGE,ALWAR